सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–255/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त एवं
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 : लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020

विषयः– कोविड–19 की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारंटीन कैम्पस संचालित किये जाने हेतु निर्देश।

महोदय,

कृपया राजस्व अनुभाग–11 के पत्र सं0–141/एक–11–2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कोविड–19 के कारण लाकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

2– प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बने **अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारंटीन कैम्प्स** के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह विद्यालयों/अन्य भवनों में स्थापित किये गये हैं। इनके संचालन पर आने वाले व्यय भार को जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के माध्यम से वहन कराया जा रहा है। यह उचित नही है। **इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारंटीन कैम्प्स के संचालन पर आने वाले व्यय भार को वहन किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–165/एक–10–2020–33(221)/2011टी.सी.–2, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 द्वारा जनपदों को पर्याप्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।**

अतः ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारंटीन कैम्प्स के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को न देकर स्थानीय लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी को दी जाये। जिलाधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

हो ताकि अनावश्यक बाहरी व्यक्तियों का दखल न हो तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Rk 11/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभागा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस कमिश्नर, नोएडा/लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव